

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प कोटकासिम

पीठासीन अधिकारी श्री (विश्व) मिश्र श्री आर.एस. उन्वान

जरीशम बनाप आरुशम

दावा बाबत: 88,89 राजा. 0130. 24थी

मुकदमा नम्बर: 254/06

निर्णय दिनांक: 28.6.2018

वादी की ओर से (विश्व) मिश्र की व प्रतिवादी की ओर से को उपस्थित में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) के सम्मक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिग्री दी जाती कि (विश्व) मिश्र का पत्नी राजा सर. नं. 22 सर. 5 वी. 05 वि. 05 वरक राम राजमपुर तहसील कोटकासिम में वादीगण का वाद विधी कोया जाया है प्रतिवादी सं. 1 का नाम /24 राजा है नाम कलसजान वर वारीगण व वारीगण प्रतिवादीगण के नाम /24 राजा का राजसूरन वि. 05 में कलसजान कोया जाये (जनी सजुलार वारीगण सं. 02 प्रतिवादीगण को /24 राजा का वाद कलसजान व वारीगण कोया जाया है)

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।

यह आज तारीख 28.6.18 को मौ हस्ताक्षर से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विश्व) मिश्र श्री आर.एस.

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
4.रुपये पर प्लीडर के फीस		अर्जी के लिए स्टाम्प
5. साक्षियों को लिए निर्वाह - व्यय		प्लीडर के फीस
6. कमिश्नर की फीस		साक्षियों को लिए निर्वाह - व्यय
7. आदेशिका की तामिल		आदेशिका की तामिल
		कमिश्नर की फीस
जोड़		जोड़